राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

——

क्रमांक: F.22(16)Edu-1/2025-30116-7361815 जयपुर, दिनांक :

राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।

निदेशक, मा.शिराज. एवं पदेन अति. रा.परि.निदेशक (वरिष्ठ), समसा।

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

विषय :– विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) को विद्यालय में प्रवेश दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत समावेशी शिक्षा अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (Children With Special Needs) को समान अवसर प्रदान करना विभाग की प्राथमिकता है। इन दिशा–निर्देशों का उद्देश्य विद्यालयों में CWSN श्रेणी के विद्यार्थियों के प्रवेश को सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं प्रमाण–आधारित बनाना है।

समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए CWSN श्रेणी के विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु एकरूप प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए विद्यार्थियों का प्रवेश केवल वैध श्रेणी प्रमाण–पत्र (Category Certificate) प्रस्तुत करने पर ही प्रदान किया जाए। फर्जी अथवा अपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर दिव्यांग श्रेणी में प्रवेश नहीं दिया जावे। जो विद्यार्थी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदनात्मक दिव्यांगता से ग्रस्त हैं, को वर्तमान में मान्य सरकारी अस्पताल/चिकित्सा बोर्ड/अधिकृत संस्था के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध श्रेणी दिव्यांगता प्रमाण–पत्र उपलब्ध करवाये जाने पर ही उस श्रेणी में प्रवेश दिया जावे। विद्यार्थी CWSN श्रेणी में तभी पात्र माना जावे, जब विद्यार्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध दिव्यांगता प्रमाण–पत्र हो, जिसमें दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत स्पष्ट रूप से अंकित हो।

विद्यार्थी की प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अभिभावक/संरक्षक द्वारा विद्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन लिया जावें। विद्यालय संस्था प्रधान/नामित समिति द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों का सत्यापन किया जावे।

विशेष परिस्थितियों में यदि कोई अभिभावक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो उसे निर्धारित समयावधि (अधिकतम 30 दिन) के भीतर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा सकता है। निर्धारित समयावधि में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने पर प्रवेश दिव्यांग श्रेणी

में निरस्त सामान्य श्रेणी में प्रवेश की कार्यवाही करावें। विद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार अभिभावकों को प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन भी प्रदान किया जावे।

विद्यालय स्तर पर जिम्मेदारी रखते हुए प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शिता बनाया जाने के साथ ही CWSN विद्यार्थियों के लिए रैम्प, विशेष शिक्षण सामग्री जैसी आवश्यक सुविधाए ँ उपलब्ध करावे। प्रवेश के दौरान फर्जी प्रमाण–पत्र पाए जाने पर संबंधित प्राधिकारी को सूचित करने की भी कार्यवाही करावें।

CWSN श्रेणी के वास्तविक पात्र विद्यार्थियों को ही लाभ मिले तथा प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाये रखे जाने के लिए दिशा–निर्देशों की प्रभावी अनुपालना एवं मॉनिटरिंग जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जाकर निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित विद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्ताकालय एवं पंचायती राज (प्रा. शि.) विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2)/ प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग।
4. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/ शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature Not Verified

Digitally Signed by Munni Meena
Designation : Joint Secretary To Government
Date :09-04-2026 01:16:08

RajKaj Ref No.: 21436436

eSign DSC